न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 303/2025

अन्तर्गत धारा 86(2) RLR Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रावत का गांव जरिये केसरदान पुत्र शेम्भूदान जाति चारण, निवासी रावत का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :— 1. प्रार्थी अधिवक्ता :— श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 15.09.2025

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 व राजस्थान भू—राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के तहत चलायमान बारहमासी व कदीमी रास्तों पर आवागमन हेतु उसका रेकर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। ऐसे रास्ते जो वक्त भू प्रबंध आमजन के आवागमन हेतु उपलब्ध थे, किन्तु उनका राजस्व रेकर्ड में अंकन नही हो सका, ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु माननीय न्यायालय के आदेश क्रमांक/राजस्व/2023/362 दिनांक 05.07.2023 को जारी किया गया। उक्त आदेश के तहत ग्राम रावत का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 87 रकबा 106.3674 हैक्टेयर व ग्राम कोटड़ा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1533/1367 रकबा 485.1608 हैक्टेयर में से रास्ता कायम करने में विधिक भूल होने पर ग्राम रावत का गांव के सरकारी विद्यालय के पास से रास्ता प्रस्तावित कर दिया गया है, जिस पर खनिज परिवहन हेतु भारी वाहनों का लगातार आवागमन होने एवं विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के स्वास्थ्य व सुरक्षा पर भारी परेशानी संभाव्य है। साथ ही मौके पर चलायमान रास्ता व राजस्व रेकर्ड मे अंकित रास्ता का आपस में मिलान नहीं हो रहा है। प्रस्तावित रास्ते की तरमीम मौके पर चलायमान रास्ता एवं राजस्व रेकर्ड मे अंकित रास्ते की तरमीम गलत कर दी गई है। प्रार्थी अपने विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के तहत उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करवाते हुए मौके पर चलायमान रास्ते को मौके अनुसार एवं आमजन हितार्थ हेंतु सरकारी विद्यालय से दूर राजस्व रेकर्ड मे अंकित करवाने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न पेश कर पुनर्विलोकन आवेदन पेश किया गया है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त रास्ता कटाण हेतु प्रभावित पक्षकारान् विद्यालय प्रबंधन व ग्राम के मुखिया सरपंच को बिना जानकारी दिये व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर चलायमान रास्ते से हटकर विद्यालय के पास रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकुल है। अतः प्रार्थी द्वारा रास्ता संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु पारित आदेश के संबंध में रेकर्ड में अंकित रास्ता एवं मौके पर चलायमान रास्ता [illegible] होने पर मौका एवं रेकर्ड में मिलान नही होने पर मौका निरीक्षण करते हुए [illegible] चलायमान रास्ते अनुसार रेकर्ड में संशोधन हेतु उक्त आवेदन पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 12:04:36 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थना पत्र पंजीयन किया जाकर विप्रार्थी तहसीलदार शिव से विवादित रास्ता भूमि के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त रास्ता विद्यालय भवन के ठीक सामने प्रस्तावित किया गया है। उक्त रास्ते पर खनिज हेतु भारी वाहनों का परिवहन होता है, जिससे विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मौके पर विद्यालय से दूर रास्ता प्रस्तावित

उपखण्ड अधिकारी
शिव

करने बाबत् परिशिष्ट 'ब' तैयार किया गया। परिशिष्ट 'ब' अनुसार प्रस्तावित रास्ते बावत् मौके पर उपस्थित प्रधानाध्यापक राउप्रावि रावत का गांव व ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तावित संशोधन बावत् सहमति प्रदान की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' में दर्ज अनुसार प्रस्तावित तरमीम संशोधन को स्वीकार करते हुए तद्नुसार रेकर्ड दुरस्ती हेतु आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने आवेदन के तथ्यों पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली व तहसीलदार शिव द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। उक्त आवेदन में राज्य सरकार द्वारा जनहित में एक परिपत्र संख्या प.3(2)राज./6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 जारी कर निर्देश पारित किये जाने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 के तहत चलायमान बारहमासी रास्तों पर आवागमन हेतु उसका रेकर्ड में अंकन किया जाना था, किन्तु उक्त राजस्व आवेदन में पारित आदेश में रास्ते की तरमीम चलायमान रास्ता के विपरीत विद्यालय के सामने हो गयी है। उक्त के संबंध में तहसीलदार शिव द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वर्तमान रास्ता मौके पर विद्यालय के ठीक सामने प्रस्तावित किया गया है, जिसे विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए दुरस्त किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायहित में प्रतीत होता है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार विद्यालय से दूर रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जिस पर विद्यालय संस्था प्रधान व ग्रामीणों द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गई है। चूंकि उक्त रास्ता कटाण में भूमि खनिज संभावित हेतु आरक्षित होने पर पूर्व आदेश में वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक खान एवं भू–विज्ञान विभाग बाड़मेर द्वारा रास्ता कटाण बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाकर सहमति प्रदान किये जाने पर वर्तमान में पुनः प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त स्थिति में परिपत्र में जारी निर्देशों अनुसार रास्ता संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शिव द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' में दर्शाये अनुसार दुरस्ती किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। उक्त संशोधन लट्ठा नक्शा में किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन नहीं होने से यथावत रखा जावें। अतः तहसीलदार शिव को निर्देश दिये जाते है कि तद्नुसार दुरस्ती किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव ★ सत्यमेव जयते ★ जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 12:04:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 15.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)